न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 07/2010

लक्ष्मण सिंह गौड पुत्र श्री गंगा सिंह गौड निवासी मुकाम पोस्ट अर्जुनपुरा जागीर वाया मांगलियावास ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री विरेन्द्रसिंह पंवार – अभिभाषक प्रार्थी
श्री रामसिंह गुर्जर – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 07.04.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम अर्जुनपुरा जागीर स्थित खसरा सख्या 602 रकबा 05–16–00 बीघा की कृषि आराजी प्रार्थी के नाम नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 04.06.1986 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है जिसके हाल खसरा सख्या 769 रकबा 0.04 है. साबिक 602 मिन रकबा 0.04 है0 व हाल खसरा सख्या 770 रकबा 0.86है. साबिक खसरा संख्या 602 मिन रकबा 0.86 है. है। लेकिन भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नया खसरा सख्या 769 व 770 को सिवायचक कर दिया गया। जिसे दुरूस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। सरकार पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि आवंटन में भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह के कब्जे की स्थिति स्पष्ट किये बगेर वाद निस्तारण किया जाना उचित नहीं है। भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह ने उपस्थित होकर प्रार्थी के पक्ष में सहमति व्यक्त की।

मैंने प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तथा सरकार पेरोकार के जवाब से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी के नाम नियमन होकर नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 04.06.1985 से प्रार्थी के नाम दर्ज हुयी थी । नामान्तकरण स्वीकृत ही तहसीलदार पीसागंन द्वारा किया हुआ है अतः कालान्तर जमाबदीं में उसका इन्द्राज आना था लेकिन भूसंशोधन ने त्रुटि कारित करते हुए उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद नहीं किया जबकि वो इसके लिये बाध्य थे। जहां तक अजमेर विकास प्राधिकरण का सवाल है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी 04.12.2009 से ही न्यायालय में विचाराधीन है अतः श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ–12(सी)/( ) 13/ 289 दिनांक 27.09.13 की शर्तों में बाद में विचाराधीन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होने की शर्त है अतः अजमेर विकास प्राधिकरण का जवाब पढने , सरकार पेरोकार का जवाब , भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह के प्रार्थना पत्र , पटवारी मौका रिपोर्ट एंव समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम अर्जुनपुरा जागीर के जमाबदीं सवंत 2063 से 2066 में खसरा सख्या 769 रकबा 0.04 है तथा 770 रकबा 0.86है0 में नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 04.06.85 के अनुसार प्रार्थी के नाम अकंन किया जाकर तद्नुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। शेष यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
पदेन पीसागंन
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)